

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 72 /स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019
अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	लीलावती नेगी, स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 आमसौड़, दुगड़डा	रा0उ0प्रा0वि0 देवीखाल कोटा, बीरौखाल
2	अनीता उनियाल, स0अ0 विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 जामलाखाल, कोट	रा0उ0प्रा0वि0 बगड, पाबौ
3	महेश्वरी, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 बलोडी, पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 बमोली, द्वारीखाल
4	सन्तोष, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 गूमखाल, द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 मेलधार, रिखणीखाल
5	सुदेश नेगी, स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 उमरीखाल, दुगड़डा	रा0उ0प्रा0वि0 पाटली, द्वारीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 2395-2406 /स्थाना0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्था0/ 77 /स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	दिगपाल सिंह बिष्ट, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 बमोली, द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 पल्ली, थलीसैण
2	रवीन्द्र सिंह रावत, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 कसाणी, बीरौखाल	रा0उ0प्रा0वि0 बलोडी, पौड़ी
3	सतीशचन्द्र, स0अ0, विज्ञान	रा0प्रा0वि0 मुस्याखांद, नैनीडांडा	रा0उ0प्रा0वि0 भटोली, खिसू
4	जगमोहन सिंह, स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 बगड, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 जामलाखाल, कोट
5	सुरेश चन्द, स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 पल्लीगांव शरणा, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 मरगदना, पौड़ी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)
जिला शिक्षा/अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पू0सं0/04 बे0स्था0/ 2455-66 /स्थाना0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

(25/6/19)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

25/8/19
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रोशो)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्था0/ /स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकूर, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 थकुलसारी, बीरौखाल	रा0उ0प्रा0वि0 नऊ, बीरौखाल	I
2	नीलिमा मेवाड, स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 कटूली, खिर्सू	रा0उ0प्रा0वि0 कुण्ड, यमकेश्वर	I
3	अरविन्द कुमार, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 कोलरी, बीरौखाल	रा0उ0प्रा0वि0 बसई कठवाडा, जयहरीखाल	IV
4	प्रेमलता गुसाई, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 गवाणी, पोखड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 गूमखाल, द्वारीखाल	V
5	हरेन्द्र सिंह, स0अ0, हिन्दी	रा0उ0प्रा0वि0 पांग, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 गवाणा मल्ला, पोखड़ा	VI
6	दिनेश कुमार, स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 जिवई, बीरौखाल	रा0उ0प्रा0वि0 डबराड, रिखणीखाल	VI
7	ताजबर सिंह, स0अ0, अंग्रेजी	रा0उ0प्रा0वि0 गुणेडी, रिखणीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 पैनलगांव, जयहरीखाल	VI
8	सुनीता कण्डारी, स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 उफल्डा, पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 कुठकण्डई, थलीसैण	VII
9	सुरेश चन्द्र देवरानी, स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 चिलांड, नैनीडांडा	रा0उ0प्रा0वि0 बिलकोट, नैनीडांडा	VII

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 2431-42 /स्थाना0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 74 /स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	कादम्बरी बडथवाल	रा0प्रा0वि0 सरासू, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 धुवपुर, दुगड़डा	I
2	अनीता शाह	रा0प्रा0वि0 ओडागाड, पाबौ	रा0प्रा0वि0 उज्याडी, पौड़ी	II
3	सुमनलता रावत	रा0प्रा0वि0 खीमाखेत, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 सकन्याणी, दुगड़डा	IV
4	विनीता पैन्थली	रा0प्रा0वि0 बालककोठी, कोट	रा0प्रा0वि0 खोला, खिसू	IV

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पू0सं0/04 बे0स्थाप0/ 2419-30 /स्थाना0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

25/6/19
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 71 /स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	मंजू भट्ट	रा0प्रा0वि0 खोला, खिर्सू	रा0प्रा0वि0 कुचोली, थलीसैण
2	सुधा गौड	रा0प्रा0वि0 सकन्याणी, दुगडडा	रा0प्रा0वि0 डुग्री, थलीसैण
3	विमला रावत	रा0प्रा0वि0 उज्याडी, पौड़ी	रा0प्रा0वि0 बगोली, थलीसैण

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 2383-94 /स्थाना0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

25/6/19
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

25/11/19
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/

76

/स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	उर्मिला नौटियाल	रा0प्रा0वि0 ढिकालगांव, खिर्सू	रा0प्रा0वि0 चडीगांव, खिर्सू
2	सुदर्शन सिंह	रा0प्रा0वि0 भटकोट, कोट	रा0प्रा0वि0 बीरखाल, कोट
3	अरुण पुरी	रा0प्रा0वि0 डंगू, खिर्सू	रा0प्रा0वि0 सौड़, कोट
4	इमरान अहमद	रा0प्रा0वि0 मंज्याडी, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 भैडगांव, दुगड्डा
5	सुन्दर प्रकाश गिरी	रा0प्रा0वि0 मंझेडा, यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 झण्डीचौड़ उ0, दुग0ड्डा
6	अल्का पुण्डीर	रा0प्रा0वि0 ग्वाडीगाड, पाबौ	रा0प्रा0वि0 अगरोडा, कल्नीखाल
7	जितेन्द्र नाथ	रा0प्रा0वि0 नौसीन, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 बण्ठोली, एकेश्वर
8	सतीशचन्द	रा0प्रा0वि0 परन्दा, यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 झण्डीचौड़, पशि0, दुग0
9	हरपाल सिंह कण्डारी	रा0प्रा0वि0 मंझेडा, यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 धमण्डपुर, दुगड्डा
10	रईश अहमद	रा0प्रा0वि0 बुरांसी, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 कलालघाटी, द्वि0, दुग0
11	राजेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 कुई, पाबौ	रा0प्रा0वि0 फरसूला, दुगड्डा
12	शकील अहमद	रा0प्रा0वि0 खलपाड़ी, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 आमसौड़, दुगड्डा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 2443-54/स्थाना0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

7/25/19
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 73 /स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	अरूणा भण्डारी	रा0प्रा0वि0 धाईखाल, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 लक्ष्मणझूला, यमकेश्वर	I
2	नीरज कान्त कोटनाला	रा0प्रा0वि0 चुरानी, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 कलालघाटी प्र0, दुगड़डा	I
3	अर्जुन सिंह	रा0प्रा0वि0 धेरूवा, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 सिम्मलचौड़, दुगड़डा	I
4	निर्मला डबराल	रा0प्रा0वि0 कर्तिया, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 मोहरा, दुगड़डा	I
5	शबनम खातून	रा0प्रा0वि0 सुन्दोली, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 हल्दूखाता, दुगड़डा	III
6	प्रदीप कुमार नैथानी	रा0प्रा0वि0 खाल्यूखेत, पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 कोटडीढांग, दुगड़डा	IV
7	शैलजा भण्डारी	रा0प्रा0वि0 जखेड़, पौड़ी	रा0प्रा0वि0 कलियासौड़, खिरसू	IV
8	उर्वशी चौहान	रा0प्रा0वि0 सबधरखाल, कोट	रा0प्रा0वि0 कोठगी, खिरसू	IV
9	राजेश बलोदी	रा0प्रा0वि0 बेडगांव, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 जयगांव, दुगड़डा	IV
10	प्रेमलता रावत	रा0प्रा0वि0 धारी, यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 जशोधरपुर, दुगड़डा	IV
11	इगिता नेगी	रा0प्रा0वि0 दशमेरी, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 फतेहपुर, दुगड़डा	V
12	करनपाल सिंह	रा0प्रा0वि0 गाडखर्क, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 हीराखाल, यमकेश्वर	V
13	मीना रावत	रा0प्रा0वि0 स्यूंसी, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 दलीपपुर, दुगड़डा	V
14	अमित कुमार शर्मा	रा0प्रा0वि0 सुकई, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 बिलकोट, नैनीडांडा	VI
15	गुमान सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 मातोली, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 ओलंथ, नैनीडांडा	VI
16	महेश प्रसाद डोभाल	रा0प्रा0वि0 विजयनगर, पाबौ	रा0प्रा0वि0 ओडलीनांदा, पाबौ	VI
17	राजेश कुमार पाण्डेय	रा0प्रा0वि0 चैनपुर, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 भौन, नैनीडांडा	VI
18	मीनाक्षी	रा0प्रा0वि0 गुडियलखील, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 भूण्डखाल, नैनीडांडा	VI
19	सुरेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 बनेख, पाबौ	रा0प्रा0वि0 बजवाड, पाबौ	VII

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पू0सं0/04 बे0स्था0/ 2407-18 /स्थाना0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 2371-82 /स्थाना0/2019-20 दिनाक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
- 4- जिलाधिकारी गढवाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

25/8/19
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौड़ी गढवाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 70 /स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

S0A0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	चित्रा कन्नौजिया	रा0प्रा0वि0 जलेथा, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 गूम, द्वारीखाल
2	मन्जू रावत	रा0प्रा0वि0 झण्डीचौड़ उ0, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 भूमिया, एकेश्वर
3	सायरा बानो	रा0प्रा0वि0 अगरोडा, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 सिंगोरी, खिर्सू
4	माधुरी देवराडी	रा0प्रा0वि0 कोटडीढांग, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 मासो, एकेश्वर
5	मन्जू नेगी	रा0प्रा0वि0 धमण्डपुर, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 गढकोट, बीरौखाल
6	शोभा सनवाल	रा0प्रा0वि0 साझासैण, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 जामरी, बीरौखाल
7	मन्जू कपूर	रा0प्रा0वि0 गौलीखेत, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 लसेरा, कोट
8	शोभा खर्कवाल	रा0प्रा0वि0 जशोधरपुर, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 मरोडा, थलीसैण
9	बबीता नेगी	रा0प्रा0वि0 झण्डीचौड़, पशि, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 भलगांव, द्वारीखाल
10	संगीता पंवार	रा0प्रा0वि0 कलालघाटी, I, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 रणगांव, थलीसैण
11	कान्ता,	रा0प्रा0वि0 भैडगांव, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 किमवाडी, थलीसैण
12	माधुरी नेगी	रा0प्रा0वि0 कलालघाटी, I, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 थान, थलीसैण
13	गरिमा खर्कवाल	रा0प्रा0वि0 कलालघाटी, II, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 बरसूडी, द्वारीखाल
14	मधु ध्यानी	रा0प्रा0वि0 आमसौड़, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 कफलगांव, थलीसैण
15	चारुसमिता डंगवाल	रा0प्रा0वि0 चडीगांव, खिर्सू	रा0प्रा0वि0 सुमाडी, खिर्सू
16	प्रवीन जहां	रा0प्रा0वि0 फरसूला, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 गडसारी, थलीसैण
17	उषा रावत	रा0प्रा0वि0 खिर्सू	रा0प्रा0वि0 डंगू, खिर्सू
18	रेखा रानी पुरोहित	रा0प्रा0वि0 गंगामोगपुर, मल्ला, यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 बूगीधार, थलीसैण
19	ममता रावत	रा0प्रा0वि0 बलोडी, एकेश्वर	रा0प्रा0वि0 चैलूसैण, द्वारीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

प्रेषक,
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।


पत्रांक/04बे०स्था०/ 2478 /स्था०आदेश/2019-20/दिनांक 25 जून 2019
विषय:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार निर्गत स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः उक्त आदेशों को विभागीय वेवसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न:- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्थानान्तरण आदेश।

भवदीय,


(के०एस०रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।